



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2019/चैत्र 14, 1941

No. 235]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2019/CHAITRA 14, 1941

गृह मंत्रालय

(महिला सुरक्षा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

**सा.का.नि. 282 (अ).**—बन्दी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 के 49) के खंड-3 के उप-खंड (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान ब्राजील संघीय गणराज्य के सम्बंध में लागू होंगे। भारत गणराज्य और ब्राजील संघीय गणराज्य के बीच दण्डित व्यक्तियों के अंतरण पर 15.10.2013 को हस्ताक्षरित करार का पूरा पाठ नीचे दिया गया है। भारत ने इस करार का 01.1.2014 को और ब्राजील संघीय गणराज्य ने 24.10.2018 को अनुसमर्थन किया था। अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान 24.1.2019 को किया गया था।

**दंडित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच करार**

भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दंडित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से;

और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं:

**अनुच्छेद 1****परिभाषाएं**

इस करार के प्रयोजन के लिए:

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दंड दिया गया हो;
- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दंडित व्यक्ति सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दंड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अपने दंडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए आजादी से वंचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय संबंधी आदेश है;
- (घ) “दंडित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी संविदाकर देश में किसी दंडिक न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के तहत अंतरणकर्ता देश में निर्णायक तथा प्रवर्तनीय सज़ा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

**अनुच्छेद 2****सामान्य सिद्धांत**

- (1) इस करार की शर्तों और उपबंधों के अनुसरण में दंडित व्यक्तियों के अंतरण से संबंधित सभी मामलों में अधिकतम संभव पारस्परिक सहयोग बनाए रखने के लिए दोनों देश सहमत हैं;
- (2) किसी संविदाकार देश के भू-भाग में किसी दंडित व्यक्ति को इस करार के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है जिससे कि वह अपनी सज़ा काट सके और इस संबंध में वह, अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश को इस करार की शर्तों के तहत अंतरित किए जाने के संबंधी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है;
- (3) अंतरण का अनुरोध किसी दंडित व्यक्ति, जो किसी संविदाकार देश का राष्ट्रिक है, अथवा संविदाकार देशों के कानून के अनुसार उसके स्थान पर कार्य करने का हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 3****अंतरण की शर्तें**

1. इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर अंतरित किया जा सकता है:
  - (क) दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का राष्ट्रिक हो;
  - (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया गया हो;
  - (ग) निर्णय अंतिम हो;
  - (घ) अंतरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच, विचारण अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही लंबित नहीं हो;
  - (ङ) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दंडित व्यक्ति द्वारा कम से कम एक वर्ष की सज़ा काटनी शेष हो;
  - (च) व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दंड दिया गया था, वे प्राप्तकर्ता देश में अपराध के रूप में दंडनीय हों, अथवा यदि ये इसके भू-भाग में घटित हों, तो उन्हें अपराध माना जाएगा;
  - (छ) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत दंडित न किया गया हो;
  - (ज) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;

(झ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा सहमति दी जाती है अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और

(ञ) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

(2) आपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि एक वर्ष से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

#### **अनुच्छेद 4**

#### **सूचना भेजने का दायित्व**

1. यदि दंडित व्यक्ति ने अंतरणकर्ता देश को इस करार के तहत अंतरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं है:

- (क) दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश में उसका अथवा उसके रिश्तेदार (रों) का पता, यदि कोई हो;
- (ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (घ) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया;
- (च) दंडित व्यक्ति की कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो;
- (छ) कोई अन्य जानकारी जिसके लिए प्राप्तकर्ता देश यह विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
- (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के हकदार किसी भी व्यक्ति का लिखित अनुरोध;
- (झ) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।

(2) इस करार के प्रावधानों के अनुसार संविदाकारी देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को कौंसलीय प्रमाणीकरण से छूट प्राप्त होगी।

(3) इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा यदि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है:

- (क) एक विवरण अथवा दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक राष्ट्रिक है;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें ऐसे कृत्य अथवा चूकें, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दंड पारित किया गया है, वे प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत अपराध माने गए हों अथवा यदि, ऐसे कृत्य अथवा चूकें इसके भू-भाग में घटित हों, तो उसे अपराध माना जाएगा;
- (ग) दंडित व्यक्ति के अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के सहित उसके अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में सजा की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
- (घ) दंडित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दंडित व्यक्ति की सजा के बाकी बचे हिस्से को शासित करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा

- (ड) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।
- (4) संविदाकारी देशों द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय दंडित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

**अनुच्छेद 5**  
**केंद्रीय प्राधिकारी**

- (1) अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में प्रस्तुत किया जाएगा और राजनयिक माध्यम के द्वारा अनुरोधकर्ता देश के केंद्रीय प्राधिकारी के माध्यम से प्रार्थित देश के केंद्रीय प्राधिकारी को संबोधित किया जाएगा। जवाब उसी माध्यम से सूचित किए जाएंगे।
- (2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजन हेतु, भारत गणराज्य के संबंध में गृह मंत्रालय और ब्राजील संघीय गणराज्य के संबंध में न्याय मंत्रालय, केंद्रीय प्राधिकारी होंगे।
- (3) प्रार्थित देश शीघ्रतापूर्वक अनुरोधकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

**अनुच्छेद 6**  
**सहमति और इसका सत्यापन**

- (1) अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित की जाएगी।
- (2) अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निहित शर्तों के अनुसार दी गई है।

**अनुच्छेद 7**  
**प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव**

- (1) प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी इसके राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित हो, के माध्यम से इस करार के अनुच्छेद 8 में दी गई शर्तों के अंतर्गत सजा के प्रवर्तन को जारी रखेंगे।
- (2) दण्डित व्यक्ति, जिसे इस करार के प्रावधानों के अंतर्गत अंतरित किया गया हो, को प्राप्तकर्ता देश द्वारा उसी अपराध के लिए न तो गिरफ्तार किया जाएगा, न ही मुकदमा चलाया जाएगा और न ही सजा दी जाएगी, जिसके लिए उसे पहले ही अंतरणकर्ता देश द्वारा सजा दी जा चुकी है।
- (3) इस करार के अनुच्छेद 10 एवं 11 के प्रावधानों के अध्येधीन, सजा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

**अनुच्छेद 8**  
**सजा का सतत् प्रवर्तन**

- (1) प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा-अभिनिर्धारित सजा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आवद्ध होगा।
- (2) तथापि, यदि सजा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, अथवा इसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा सजा को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित दण्ड अथवा उपाय में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, रूपान्तरित दण्ड अथवा उपाय, यथासंभव, अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा आरोपित सजा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा अंतरणकर्ता देश में आरोपित की गई सजा में वृद्धि नहीं करेगा।

**अनुच्छेद 9**  
**वास्तविक अंतरण एवं लागत**

- (1) दण्डित व्यक्ति के अंतरण का अनुमोदन होने पर, अंतरणकर्ता देश दण्डित व्यक्ति को संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई सहमति के अनुसार निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर प्राप्तकर्ता देश को सौंपेगा।

- (2) केवल अंतरणकर्ता देश के भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश, अंतरण में होने वाले व्यय की संपूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य साधन से वसूल करने की मांग कर सकता है।

#### **अनुच्छेद 10**

#### **माफी, राजक्षमा अथवा सजा को कम किया जाना और निर्णय की पुनरीक्षा**

- (1) केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा संबंधी किसी आवेदन पर निर्णय लेगा।
- (2) केवल अंतरणकर्ता देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुसार माफी और राजक्षमा दे सकता है अथवा दंड को कम कर सकता है।

#### **अनुच्छेद 11**

#### **दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति**

- (1) जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।
- (2) दंड में किसी प्रकार के परिवर्तनों के अधिसूचित किए जाने पर, प्राप्तकर्ता देश इन्हें प्रभावी बनाने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करेगा।

#### **अनुच्छेद 12**

#### **दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना**

- (1) प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा:
- (क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
- (ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले कैदी हिरासत से भाग जाता है ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश उसको गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास करेगा ताकि वह अपनी शेष बची सजा काट सके।
- (2) यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

#### **अनुच्छेद 13**

#### **अंतरणकर्ता देश पर दंड पूरा होने का प्रभाव**

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह सूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है तो ऐसी अधिसूचना का प्रभाव अंतरणकर्ता देश में दंड का पूरा होना माना जाएगा।

#### **अनुच्छेद 14**

#### **अभिवहन**

- (1) यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा, लेकिन वह किसी ऐसे दंडित व्यक्ति के अभिवहन से मना कर सकता है जो उसके अपने राष्ट्रियों में से एक हो;
- (2) ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।
- (3) सेना के हवाई जहाज के मामले को छोड़कर, अभिवहन देश के भू-भाग में किसी अप्रत्याशित अवतरण के मामले में, दण्डित व्यक्तियों के अभिवहन के लिए, उपर्युक्त 14(2) में यथा उल्लिखित अग्रिम नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
- (4) अभिवहन (ट्रांजिट) देश अपने भू-भाग के जरिए दण्डित व्यक्ति के पारगमन की अनुमति दे सकता है अथवा इन्कार कर सकता है, और दूसरे संविदाकार देश को इसकी सूचना दे सकता है।

**अनुच्छेद 15****भाषा**

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी के साथ अनुरोधकर्ता देश की भाषा अथवा उसकी राजभाषाओं में से किसी एक राजभाषा में अनुवाद भेजा जाएगा। ब्राजील संघीय गणराज्य के लिए राजभाषा पुर्तगाली तथा भारत गणराज्य के लिए अंग्रेजी होगी।

**अनुच्छेद 16****लागू होने का दायरा**

यह करार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दंड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

**अनुच्छेद 17****विवादों का निपटारा**

संविदाकार देश अपने-अपने केन्द्रीय प्राधिकारियों के बीच वार्ताओं के जरिए इस करार में घोषित उपबंधों की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा करेंगे। यदि कोई समझौता न हो पाए, तो विवाद को राजनयिक माध्यमों के जरिए निपटाया जाएगा।

**अनुच्छेद 18****संशोधन**

संविदाकारी देशों द्वारा सहमत इस करार के कोई संशोधन या आशोधन स्वयं करार की तरह ही लागू होंगे।

**अनुच्छेद 19****अंतिम प्रावधान**

1. यह करार, अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगा तथा लिखित दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के बाद प्रभावी होगा।
2. यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। हालांकि यह किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को इसकी समाप्ति की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। इसकी समाप्ति ऐसी सूचना की तारीख से छह माह बाद से प्रभावी होगी।
3. किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उन दंडित व्यक्तियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसे ब्राजीलिया में अक्टूबर, 2013 के 15 दिन हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में तैयार किया गया है तथा सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

ब्राजील संघीय गणराज्य की ओर से

[फा. सं. वी-17011/3/2017-पीआर]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

(WOMEN SAFETY DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 2019

**G.S.R.282(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Federal Republic of Brazil. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Republic of India and the Federal Republic of Brazil on 15.10.2013 is given below. The Agreement was ratified by the Republic of India on 1.1.2014 and by Federal Republic of Brazil on 24.10.2018. The Instruments of Ratification were exchanged on 24.1.2019.

**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND FEDERAL REPUBLIC OF BRAZIL ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Republic of India and the Federative Republic of Brazil hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries;

and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1****DEFINITIONS**

For the purpose of this Agreement:

- (a) "Judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) "Receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) "Sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) "Sentenced person" means a person who is serving a definitive and enforceable sentence in the transferring State under a judgment passed by a criminal court in the Contracting States;
- (e) "Transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

**ARTICLE 2****GENERAL PRINCIPLES**

- (1) The States agree to maintain highest possible mutual cooperation in all matters related to the transfer to sentenced persons pursuant to the terms and provisions of this Agreement;
- (2) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him and to that end, may express to the transferring State or to the receiving State his or her wish to be transferred under the terms of this Agreement;
- (3) Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State(s).

**ARTICLE 3****CONDITIONS FOR TRANSFER**

- (1) A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
- a) the sentenced person is a national of the receiving State;
  - b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
  - c) the judgment is final;
  - d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;
  - e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least one year of the sentence to serve;
  - f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
  - g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
  - h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
  - i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
  - j) Both the transferring and the receiving State agree to the transfer.
- (2) In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than one year.

**ARTICLE 4****OBLIGATION TO FURNISH INFORMATION**

- (1) If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
- a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
  - b) his address or his relative(s) address, if any, in the receiving State;
  - c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
  - d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
  - e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
  - f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
  - g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
  - h) the written request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and
  - i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
- (2) Documents presented by the Contracting States pursuant to the provision of this Agreement shall be exempt from Consular Authentication.



- (3) For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
- a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
  - b) a copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such acts or omissions were an offence under the law of the receiving State, or would constitute an offence if committed on its territory;
  - c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on his transfer;
  - d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
  - e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.
4. The convicted person shall be informed of any decision made by the Contracting States.

#### **ARTICLE 5**

#### **THE CENTRAL AUTHORITIES**

- (1) Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the central authority of the Requesting State through diplomatic channels to the central Authority of the Requested State. Replies shall be communicated through the same channels.
- (2) For the purpose of paragraph 1 of this Article, the Central Authority shall be, in relation to the Republic of India, the Ministry of Home Affairs; and in relation to the Federative Republic of Brazil, the Ministry of Justice.
- (3) The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

#### **ARTICLE 6**

#### **CONSENT AND ITS VERIFICATION**

- (1) The transferring State shall ensure that the person is required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
- (2) The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

#### **ARTICLE 7**

#### **EFFECT OF TRANSFER FOR THE RECEIVING STATE**

- (1) The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement.
- (2) A Sentenced person who has been transferred under the provisions of this Agreement shall not be arrested or put on trial or sentenced by the receiving State for the same offence for which he has already been sentenced in the transferring State.

- (3) Subject to the provisions of Article 10 & 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

#### **ARTICLE 8**

##### **CONTINUED ENFORCEMENT OF SENTENCE**

- (1) The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
- (2) If, however, the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

#### **ARTICLE 9**

##### **PHYSICAL TRANSFER & COSTS**

- (1) Upon approval of the transfer of the sentenced person, the transferring State shall handover the sentenced person to the Receiving State on the date and venue agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.
- (2) Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

#### **ARTICLE 10**

##### **PARDON, AMNESTY OR COMMUTATION AND REVIEW OF JUDGMENT**

- (1) The transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment.
- (2) Only the transferring State may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

#### **ARTICLE 11**

##### **TERMINATION OF ENFORCEMENT OF SENTENCE**

- (1) The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.
- (2) On being notified of any change in the sentence, the receiving State shall immediately adopt the necessary measures to put them into effect.

#### **ARTICLE 12**

##### **INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE**

- (1) The receiving State shall notify the transferring State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) If the prisoner escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State shall make every effort to have the prisoner arrested so that he serves the remainder of his sentence.
- (2) The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

**ARTICLE 13****EFFECT OF COMPLETION OF SENTENCE FOR THE TRANSFERRING STATE**

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

**ARTICLE 14****TRANSIT**

- (1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals.
- (2) The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.
- (3) The advance notice as mentioned in 14(2) above, for transit of sentenced persons will not be necessary, in case of an unforeseen landing in the territory of the transit State, except in the case of military aircraft.
- (4) The transit State may or may not permit the passage of the sentenced person through its territory, and so inform the other Contracting State.

**ARTICLE 15****LANGUAGE**

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language or one of the official languages of the requesting State. For the Federative Republic of Brazil, the official language shall be Portuguese and for the Republic of India, it shall be English.

**ARTICLE 16****SCOPE OF APPLICATION**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

**ARTICLE 17****SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute between the Contracting States regarding the interpretation of the provisions set forth in this Agreement shall be settled by means of negotiations between the respective Central Authorities. In case of not reaching an agreement, the dispute shall be resolved through diplomatic channels.

**ARTICLE 18****AMENDMENTS**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

**ARTICLE 19****FINAL PROVISIONS**

- (1) This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force thirty days after the date on which instruments of ratification are exchanged.
- (2) The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination. The termination shall take effect six months after the date of such notice.

- (3) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

**In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.**

Done in duplicate at **Brasilia** on this 15<sup>th</sup> day of October of the two thousand and thirteen in the Hindi, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic.

For the Republic of India

For the Federative Republic of Brazil

[F.No. V-17011/3/2017-PR]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.